न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– आर. के. जायसवाल, आई.ए.एस. जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा नम्बर:– 15/2021 **(जी सी एम एस नम्बर 2021/102)**

उनवान प्रकरण :–

राजस्थान सरकार जरिये जिला धौलपुर ....**प्रार्थी**

बनाम

1–रामभरोसी पुत्र नारायण सिंह |
2–नत्थीलाल पुत्र नारायण सिंह |
3–हरिप्यारी पुत्री नारायण सिंह | समस्त जातिगण मलाह
4–लौंगश्री पुत्री नारायण सिंह |
5–पीतो देवी पत्नी स्व0 रामजीलाल | समस्त निवासीगण ग्राम
6–वृन्दावन पुत्र स्व0 रामजीलाल |
7–गीताराम पुत्र स्व0 रामजीलाल | राजघाट तहसील धौलपुर
8–कृष्णा पुत्र स्व0 रामजीलाल |
9–रेशो पुत्री स्व0 रामजीलाल | जिला धौलपुर
10–सरजू पुत्री स्व0 रामजीलाल |
11–गुडडी पुत्री स्व0 रामजीलाल ....**अप्रार्थीगण**

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

प्रार्थना पत्र रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति अभिभाषकगण :–

प्रार्थी की ओर से – श्री गोपाल नारायन शर्मा राजकीय अभि0
अप्रार्थीगण – श्री श्रीकान्त श्रीवास्तव एडवोकेट

निर्णय

दिनांक 25.02.2022

प्रार्थी सरकार की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत रैफरेन्स भू राजस्व अधिनियम की धारा 82 के तहत निम्नानुसार प्रेषित किया गया है कि मिसिल बन्दोबस्त सम्बत 2028 में आराजी खसरा नम्बर 942/1126 रकवा 5 बीधा आवंटन दिनांक 2.8.1970 से नारायण सिंह पुत्र राधाकिशन जाति मलाह निवासी ग्राम

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

राजघाट तहसील धौलपुर की गैर खातेदारी में दर्ज रिकार्ड था। आवंटी नारायण सिंह की मृत्यु उपरान्त नारायण सिंह के वारिस अप्रार्थी संख्या 1 लगा0 11 है उन्हें प्रकरण में पक्षकार बनाया गया है। बन्दोबस्त खसरा सम्बत 2020 व बन्दोबस्त जमाबन्दी सम्बत 2022 में भी उक्त खसरा नम्बर की किस्म तीर अंकित है जो कि वर्तमान जमाबन्दी सम्बत 2072–75 में भी किस्म तीर अंकित है। उक्त गैर खातेदारी राज. कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित भूमि पर प्रदान की गई है जो कि धारा 16 का उल्लघंन है। सम्बत 2060से 63 की जमाबन्दी तैयारी में खसरा नम्बर 942/1126 का नया नम्बर 1215/942 बनाया गया है। उक्त खसरा नम्बर की खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने बावत अप्रार्थीगणों द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। चूंकि भूमि पैराफैरी क्षेत्र में स्थित होने के कारण प्रार्थना पत्र राजस्व (ग्रुप–6) द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 13.5.2015 द्वारा गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार दिये जाने की शक्तियां जिला कलक्टर महोदय को प्रदत्त किये जाने के कारण प्रकरण खातेदारी दिये जाने बावत जिला कलक्टर महोदय धौलपुर के यहां प्रेषित किये गये जिसमें कार्यालय जिला कलक्टर महोदय धौलपुर के आदेश कमांक प.12/12/28/राजस्व/2015/8 दिनांक 17.1.2018 से निर्णय किया जाकर आदेशित किया गया है कि आराजी खसरा नम्बर 1215/942 रकवा 5 बीधा भूमि बांके ग्राम वसईनीव नगर परिषद की परिधीय क्षेत्र में अवस्थित होने पर प्रार्थीगणों की गैर खातेदारी से खातेदारी दिये जाने हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव एवं प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर राजस्व (ग्रुप–7) विभाग परिपत्र कमांक 43(146)राज–7/2011 दिनांक 26.6.2012 के अनुसरण में गैरखातेदारी निरस्त किये जाने हेतु रैफरेन्स सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करें। उपरोक्त प्रकरण में अप्रार्थीगणों को गैर खातेदारी अंकित किये जाने से राज. काश्तकारी अधिनियम की धारा का उल्लंघन हुआ है एवं उक्त भूमि का आवंटन किया जाना नियम विरूद्व है जो कि खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 1215/942 रकवा 05 बीधा किस्म तीर में किया गया आवंटन निरस्त किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रकरण को रैफरेन्स किये जाने की प्रार्थना की हैं

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी सम्बत 2011–14, नकल मिलान क्षेत्रफल,नकल मिसिल बन्दोवस्त जमाबन्दी सम्बत 2028, नकल जमाबन्दी सम्बत 2056–59, नकल सूची बटा नम्बर, नकल जमाबन्दी सम्बत 2060–63,नकल जमाबन्दी सम्बत 2072–75, नकल खसरा गिरदावरी सम्बत 2072–75, नकल नक्शा ट्रेस, रिपोर्ट पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक, आदेश कार्यालय जिला कलक्टर महोदय धौलपुर कमांक प012/12/28/राजस्व/2015/8 दिनांक 17.1.2018, नकल नामान्तकरण संख्या 673, नकल नामान्तकरण संख्या 915 पेश की है।

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

न्या0.जिला कलक्टर धौलपुर
वमुकः सरकार बनाम रामभरोसी वगैरा
रैफरेन्स संख्या 15/2021

उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।अप्रार्थी संख्या–1,2एवं 5लगा011 की ओर से श्री श्रीकान्त श्रीवास्तव एडवोकेट ने बकालतनामा पेश कर उक्त अप्रार्थीगण की ओर से रेफरेन्स प्रार्थना पत्र का जबाव पेश किया गया जिसमें उन्होने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को अस्वीकार करते हुये जबाव में कथन किया कि बन्दोवस्त विभाग द्वारा उक्त एलोटशुदा आराजी का खसरा नम्बर नया 942/1126 रकवा 5 बीधा किस्म उसर के बजाय तीर गलत दर्ज कर दिया जो अवैध रहा उक्त बन्दोवस्त की गलती को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम1956 की धारा 136 के अधीन दुरस्त करने का अधिकार रहा। श्रीमान जिला कलक्टर महोदय धौलपुर द्वारा अप्रार्थीगण के खातेदारी प्राप्त करने के आवेदन पत्र पर विधिवत रिपोर्ट लेकर पाया कि एलोटमेन्ट के समय भूमि उसर काविल काश्त थी किसी प्रतिबधित श्रेणी में नही थी। बन्दोवस्त विभाग को कोई अधिकार किस्त ''तीर'' दर्ज करने का नहीं था जबकि आराजी उसर थी, बन्दोवस्त का यह कार्य विना क्षेत्राधिकार व गलत था। विवादित आराजी आवंटी व उसके वारिसान अप्रार्थीगण वर्तमान में गैरखातेदार दर्ज है। उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार दिये जाने हेतु प्रस्ताव तहसीलदार धौलपुर, उपखण्डाधिकारी धौलपुर एवं श्रीमान जिला कलेक्टर द्वारा अपनी अभिशंषा करते हुये राजस्व विभाग को प्रेषित किये गये। राजस्व विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 13.5.2015 के द्वारा गैरखातेदारी से खातेदारी प्रदान करने के अधिकार श्रीमान जिला कलक्टर महोदय को परिपत्र के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये। अप्रार्थीगण के आवेदन के सम्बध में तहसीलदार धौलपुर के पत्रांक भू.अ./2022/281 दिनांक 10.2.2022 के द्वारा वर्तमान रिकार्ड की रिफरेन्स के अनुसार जमावंदी सम्बत2076–79 के अनुसार विवादित आराजी अप्रार्थीगण की गैरखातेदारी में दर्ज है आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 13.6.1970 को विधिवत आवंटन तथा 2.8.1070 को पटटा व कब्जा व दखल प्राप्त किया और गैरखातेदारी अंकित किया जिसके वावत अप्रार्थीगण को खातेदारी दर्ज करने का अधिकार मान कर उक्त भूमि नगर परिषद की पैराफेरी क्षेत्र में होने के कारण अधिसूचना दिनांक 21.6.2007 एवं 13.5.2015 के अनुसरण में उक्त खसरा नम्बर 1215/942 रकवा 1.2645 हेक्टैयर वसई नींव तहसील धौलपुर की वर्तमान दर 438524 रूपये प्रति हेक्टेयर के अनुसार 20 प्रतिशत राशि 1,10,903 रूपये अप्रार्थीगण द्वारा जमा कराने के आदेश कमांक प.12/12/28/राजस्व/2015/303–04 दिनांक 11.2.2022 को प्राप्त किये। अप्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार उक्त राशि राजकोष में जरिये ई चालान दिनांक 16.2.2022 को जमा कराई जा चुकी है। बन्दोवस्त के गलत इन्द्रांज किस्म जमीन उसर के बजाय ''तीर'' गलत अंकित करने के कारण उक्त रेफरेन्स किया गया था जिसे श्रीमान जिला कलक्टर महोदय द्वारा पूर्व के समस्त रिकार्ड को देख कर बन्दोवस्त विभाग द्वारा विना क्षेत्राधिकार के जिन्हें कोई राजस्व रिकार्ड में नाम परिवर्तन कराने का अधिकार नहीं था मान कर खातेदारी प्रदान कर दी है जिसके आदेश की प्रति पेश की है। अतः उक्त रेफरेन्स की कार्यवाही निरस्त की जावे।

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

हमने विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष की वहस सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थी तहसीलदार धौलपुर ने यह रैफरेन्स प्रार्थना पत्र विवादित भूमि को राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि की किस्म तीर को आधार मानते हुये जो कि आवंटन योग्य भूमि नहीं थी। आवंटन को निरस्त कराने हेतु यह रैफरेन्स प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। हमने अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा भूमि आवंटन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया आवेदक नारायणसिंह व हरीराम पुत्रगण राधाकिशन द्वारा ग्राम वसईनींव की आराजी खसरा नम्बर 846 रकवा 6–00 बीधा भूमि किस्म ऊसर के आंवटन के लिये आवेदन पेश किया गया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में यह अंकित किया कि खसरा नम्बर 846 कुल रकवा 44–02 बीधा किस्म ऊसर मकबूजा राज दर्ज रेकार्ड है व काबिल काश्त है। आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा दिनांक 13.6.1970 को बैठक कार्यवाही विवरण में यह अंकित किया कि ग्राम में सबसे निम्न श्रेणी की भूमि हारखाकी है तथा सर्व सम्मति से प्रार्थीगण को आवंटन का निर्णय लिया तथा दिनांक 2.8.1970 को आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा व दखल प्राप्त किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत ग्राम बसईनींव की जमावन्दी सम्बत 1968, जमाबन्दी सम्बत 2011–14, सम्बत 2019 एंव सम्वत 2023 में आराजी खसरा नम्बर 846 की किस्म ऊसर रेकार्ड में अंकित है किन्तु बन्दोवस्त द्वारा सम्बत 2028 में साविक आराजी खसरा नम्बर 846 मिन रकबा 6–00 बीधा का हाल खसरा नम्बर 942/1126 रकबा 5–00 बीधा बनाते हुये उक्त आराजी खसरा नम्बर पर नारायणसिंह को खसरा नम्बर 942/1126 रकवा 5–00 बीधा की किस्म तीर अंकित करते हुए उसको गैरखातेदार अंकित किया गया। बन्दोवस्त विभाग की आदेशिका दिनांक 12.9.73 के द्वारा उक्त भूमि की किस्म ऊसर के स्थान पर किस्म तीर अंकित की गई परन्तु विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि बन्दोवस्त विभाग को राजस्व अभिलेखों में दर्ज प्रविष्टियों को परिवर्तन करने का अधिकार नहीं था। भूमि की किस्म ऊसर के स्थान पर किस्म तीर का अंकन राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के प्रावधानों के तहत संशोधन योग्य है तथा त्रृटिपूर्ण तरीके से भूमि की किस्म परिवर्तन करने से अप्रार्थीगण को विधिवत आवंटित भूमि जिस पर उन्हें आवंटन के आधार पर गैरखातेदार अंकित किया गया है उनको खातेदारी अधिकार प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जा सकता। प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार बरवक्त आवंटन भूमि की किस्म ऊसर थी जो कि काबिल काश्त एवं आवंटन योग्य थी तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि नहीं थी बन्दोवस्त विभाग द्वारा बन्दोवस्त की प्रक्रिया के दौरान भूमि की किस्म परिवर्तित करते हुए तीर अंकित करने का बन्दोवस्त विभाग को अधिकार नहीं था। अप्रार्थीगण को उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार दिये जाने हेतु प्रस्ताव तहसीलदार धौलपुर, उपखण्ड अधिकारी

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

न्या0.जिला कलक्टर धौलपुर
वमुकः सरकार बनाम रामभरोसी वगैरा
रैफरेन्स संख्या 15/2021

धौलपुर एंव जिला कलक्टर द्वारा अपनी अभिशंषा करते हुये राजस्व विभाग को प्रेषित किये गये, राजस्व विभाग द्वारा विभाग के परिपत्र दिनांक 13.5.2015 के द्वारा गैरखातेदारी से खातेदारी अधिकार दिये जाने के अधिकार जिला कलक्टर को दिये जाने पर उक्त परिपत्र के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है। तहसीलदार धौलपुर के पत्रांक भू.अ./2022/281 दिनांक 10.2.2022 के द्वारा वर्तमान रिकार्ड की रिर्पोट के अनुसार अप्रार्थीगण को गैरखातेदारी से खातेदार दर्ज कराने का अधिकारी मानते हुये जिला कलक्टर महोदय धौलपुर के आदेश दिनांक 11.2.2022 के द्वारा अप्रार्थीगण को गैरखातेदार के स्थान पर खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश जारी किये जा चुके है जिसके कारण यह रैफरेन्स प्रार्थना पत्र सारहीन होने जाने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि उपरोक्त विवेचना अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन हो जाने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुभार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 25..02.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(आर.के. जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर
जिला कलक्टर, धौलपुर